अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 261A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

शांति उराँव ....आवेदक / विक्रेता

बनाम

पिंकी उराँव..................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
13-06-2020		

विक्रेता :- शांति उराँव पति स्व0 सोनू उराँव, ग्राम-निशंखपुर, थाना-सरायकेला, सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-उराँव।

क्रेता :- पिंकी उराँव पति राजेश टोप्पो पिता स्व0 सत्यनारायण उराँव, ग्राम-ब्रम्हाटाँड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड),जाति-उराँव।

विक्रेता द्वारा दिनांक 05.03.2020 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता पिंकी उराँव पति राजेश टोप्पो पिता स्व0 सत्यनारायण उराँव, ग्राम-ब्रम्हाटाँड, थाना-सरायकेला, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
निशंखपुर	सरायकेला / 288	1	14 / अं0	4½डी0
		2	13 / अं0	8डी0
			कुल-	12½डी0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, सरायकेला से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, सरायकेला का पत्रांक 391 दिनांक 20.04.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पति स्व0 सोनू उराँव के नाम से पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पति के के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-3.15½ एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहती है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'उराँव' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार.....................2

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, सरायकेला ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 05.03.2020 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, सरायकेला के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता शांति उराँव पति स्व0 सोनू उराँव, ग्राम–निशंखपुर, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता पिंकी उराँव पति राजेश टोप्पो पिता स्व0 सत्यनारायण उराँव, ग्राम–ब्रम्हाटाँड, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–12½डी0 भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

13/06/2020
भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।